

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA

दिल्ली राजपत्र
सत्यमेव जयते
Delhi Gazette

एस.जी.-डी.एल.-अ.-19052020-219449
SG-DL-E-19052020-219449

असाधारण
EXTRAORDINARY
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 83]	दिल्ली, मंगलवार, मई 19, 2020/वैशाख 29, 1942	[रा.रा.क्षे.दि. सं. 16
No. 83]	DELHI, TUESDAY, MAY 19, 2020/VAISAKHA 29, 1942	[N.C.T.D. No. 16

भाग IV
PART IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

महिला एवं बाल विकास विभाग
अधिसूचना

दिल्ली, 19 मई, 2020

फा.न.61(1040)/जेजेबी(सलेक्शन)/डीडी(सीपीयू)/डीडब्ल्यूसीडी/2019-20/100-129.—किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल एवं सुरक्षा) अधिनियम, 2015 (2016 का 2) की धारा 2 के खण्ड (59) की धारा 4 की उपधारा(1) के अन्तर्गत दिल्ली सरकार, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, किशोर न्याय बोर्ड-II में रिक्त पद के लिए निम्नलिखित सदस्य सामाजिक कार्यकर्ता को नियुक्त करती है, जिसके अनुसार यह बोर्ड उपरोक्त अधिनियम के तहत प्रदत्त शक्तियों और कर्तव्यों का कानून का उल्लंघन करने वाले बच्चों के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में कार्य करेगा।

स.न.	बोर्ड का नाम और पता	सदस्य सामाजिक कार्यकर्ता का नाम
1.	किशोर न्याय बोर्ड-II, जीएलएनएस परिसर, दिल्ली गेट, दिल्ली।	श्रीमोहन सिंह दबास, 4320 सेक्टर-बी, पॉकेट 5 एवं 6 वसंत कुंज, नई दिल्ली-1100070, फोन नंबर -9811581616

उपरोक्त सदस्य सामाजिक कार्यकर्ता का कार्यकाल अधिसूचना की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए होगा।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के आदेश से,
डा. निशा अग्रवाल, उपनिदेशक (बाल संरक्षण इकाई)

DEPARTMENT OF WOMEN AND CHILD DEVELOPMENT

NOTIFICATION

Delhi, the 19th May, 2020

F. No. 61(1040)/JJB(Sele.)/DD(CPU)/DWCD/2019-20/ 100-129.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 4 read with clause 59 of Section 2 of the Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Act, 2015 (2 of 2016), the Government of National Capital Territory of Delhi is pleased to appoint the below mentioned person as Member Social Worker against the vacant post for Juvenile Justice Board-II for exercising the powers and discharging the duties conferred or imposed on such Board, in relation to the children in conflict with law under the said Act for the National Capital Territory of Delhi.

Sl. No.	Name & Address of the Board	Name of Member Social Workers
1	2	3
	Juvenile Justice Board-II, GLNS Complex, Delhi Gate, Delhi	Mr. Mohan Singh Dabas, Add:-R/o 4320 Sec-B, Pocket 5&6 Vasant Kunj, New Delhi-110070, Mob-9811581616

The tenure of the aforesaid Member Social Worker shall be three years from the date of the Notification.

By Order and in the Name of the
Government of the National Capital Territory of Delhi,
Dr. NISHA AGRAWAL, Dy. Director (Child Protection Unit)